न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या : 27/2024
दायर दिनांक : 28.06.2024
निर्णय दिनांक : 18.03.2025

—: अनवान :—

1. रायसिंह पिता मोडसिह जी जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी साझसादडी तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
2. नाहरसिंह पिता मोडसिह जी जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी साझसादडी तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द **— अपीलांटगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देलवाडा तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, देलवाडा जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 1/24 नाजायज कब्जा, बअनवान सरकार बनाम रायसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 23.05.2024 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, देलवाडा जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 1/24 नाजायज कब्जा, बअनवान सरकार बनाम रायसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 23.05.2024 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झाडसादडी पटवार क्षेत्र शिशवी तहसील देलवाडा में आराजी संख्या 474 रकबा 0.5438 किस्म मंगरी बीड भूमि स्थित है जो वर्तमान में रेस्पोण्डेंट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता मोडसिह पिता सावन्तसिंह का सन् 1988 से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। मोडसिह के जीवनकाल में ही अपीलान्ट का अपने पिता के साथ कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता जी सेना में नौकरी करते थे और इसी वजह से उक्त भूमि उन्हें प्रदान की गई थी लेकिन भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई। मोडसिंह जी का सन् 1996 में स्वर्गवास हो गया है अपीलांट मोडसिह का विधिक उत्तराधिकारी होकर उक्त भूमि पर अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। जिसके संबंध में धारा 91 नाजायज कब्जा की कार्यवाही पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के आधार पर तहसीलदार देलवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलांट को दिनांक 21.05.203 को उपस्थित रहने के नोटिस जारी किये थे लेकिन अपीलार्थी मौजुद नहीं होने से प्रकरण में पुनः नोटिस दिनांक 22.05.2024 के जारी कर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को नियत की गई और उसी दिन अर्थात दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी ने उपस्थिति देकर अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं जवाब पेश करने हेतु 15 दिन का अवसर चाहा इस बाबत् लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन प्रकरण पुनः दिनांक 23.05.2024 को अगले कार्यदिवस को नियत कर प्रकरण को निर्णित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम होकर अपीलार्थी के पिता जी को भूतपूर्व सैनिक होने की वजह से उन्हें प्रदान की गई थी जिस पर अपीलार्थी एवं उनके पिता जी काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार अपीलार्थी द्वारा बनायी गयी है तथा सन् 1980 से इस जमीन पर अपीलार्थी का नियमित कब्जा आधिपत्य पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर नहीं मिला है और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। वैसे भी धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में जो निर्णय किया है और जिस आलोच्य निर्णय को अपीलान्ट द्वारा चुनौति दी गयी है वह निर्णय ही अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रफोर्मे में है। इससे ही प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है और केवल छपे हुए प्रफोर्मे को भरकर पत्रावली को निर्णित करना दर्शाया है जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं। केवल छपे हुए प्रफोर्मे पर निर्णय दर्शाते हुए पत्रावली फैसल कर दी गयी। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

Rajasthan Land Revenue Act 1956-Sec 91-Applicability-Tehsildar issued notice u/s 91 to respondent for Sawai Chak, Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain inoccupation over the land. The said claim raises questions involving applicability and interpreration of various laws and documents as well as investigation into disputed questions of fact involving recording of evidence, These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the Act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2016 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी के पिता के समय से ही सुरक्षा हेतु कच्चा कोट बनाया हुआ है तथा पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि को अपलार्थी ने अपने नाम पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु भी न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 128/2024 राजस्व वाद होकर इसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 129/2024 राजस्व प्रार्थना पत्र होकर आगामी पेशी दिनांक 26.06.2024 को नियत है। उपरोक्त भुमि पर अपीलान्ट्स का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है परन्तु अपीलांट की उक्त वादग्रस्त भूमि के समीप की भूमि भूमाफियाओ द्वारा क्रय कर ली तथा उक्त भूमि पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते है तथा अपीलार्थी को बेदखल करना चाहते है अपीलांट के विरूद्ध उक्त आराजी संख्या 474 में कार्यवाही की जबकि उक्त आराजी संख्या 474 का कुल रकबा 0.5438 हैक्टेर है तथा अपीलांट का कब्जा 0.2529 हैक्टेयर पर होना बताया जिससे 0.2909 हैक्टेर भुमि शेष जिस पर भी अन्य व्यक्तियो के कब्जे है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करना पक्षपात प्रतीत होता है। धारा 91 नाजायज कब्जा की कार्यवाही पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के आधार पर तहसीलदार देलवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को दिनांक 21.05.203 को उपस्थित रहने के नोटिस जारी किये थे लेकिन अपीलार्थी मौजुद नहीं होने से प्रकरण में पुनः नोटिस दिनांक 22.05.2024 के जारी कर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को नियत की गई और उसी दिन अर्थात दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी ने उपस्थिति देकर अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं जवाब पेश करने हेतु 15 दिन का अवसर चाहा इस बाबत् लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन प्रकरण पुनः दिनांक 23.05.2024 को अगले कार्यदिवस को नियत कर प्रकरण को निर्णित कर दिया गया। दिनांक 23.05.2024 को अपीलान्ट के अधिवक्ता सिविल न्यायालय में सुबह का समय होने के कारण सिविल न्यायालय का काम कर समय 2.30 बजे अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ जिस पर वहाँ कार्यालय से बताया गया कि पंचायत समिति की मीटिंग चल रही है जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता एक घंटे तक वहीं बैठे रहे तथा उसके पश्चात् आये तथा बताया कि अपीलांट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण फैसल कर दिया गया। अपीलांट की और से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा इसके साथ न्यायलय में विचाराधीन वाद की नकल प्रस्तुत की व अपीलांट की और से धारा 10 सी पीसी का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसको रेकार्ड पर लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया। तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की और से दिनांक 23.05.2024 को ही जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई घोर नहीं कर मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया जिससे प्राकृतिक न्याय का हनन हो रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका मनमकसूद रूप से अंकित की है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब न देकर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम झाडसादडी पटवार क्षेत्र शिशवी तहसील देलवाडा में आराजी संख्या 474 रकबा 0.5438 किस्म मंगरी बीड भूमि स्थित है जो वर्तमान में रेस्पोण्डेंट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता मोडसिह पिता सावन्तसिंह का सन् 1988 से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। मोडसिह के जीवनकाल में ही अपीलान्ट का अपने पिता के साथ कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता जी सेना में नौकरी करते थे और इसी वजह से उक्त भूमि उन्हें प्रदान की गई थी लेकिन भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई। मोडसिंह जी का सन् 1996 में स्वर्गवास हो गया है अपीलांट मोडसिह की विधिक उत्तराधिकारी होकर उक्त भूमि पर अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। जिसके संबंध में धारा 91 नाजायज कब्जा की कार्यवाही पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के आधार पर तहसीलदार देलवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को दिनांक 21.05.203 को उपस्थित रहने के नोटिस जारी किये थे लेकिन अपीलार्थी मौजुद नहीं होने से प्रकरण में पुनः नोटिस दिनांक 22.05.2024 के जारी कर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को नियत की गई और उसी दिन अर्थात दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी ने उपस्थिति देकर अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं जवाब पेश करने हेतु 15 दिन का अवसर चाहा इस बाबत् लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन प्रकरण पुनः दिनांक 23.05.2024 को अगले कार्यदिवस को नियत कर प्रकरण को निर्णित कर दिया गया। दिनांक 23.05.2024 को अपीलान्ट के अधिवक्ता सिविल न्यायालय में सुबह का समय होने के कारण सिविल न्यायालय का काम कर समय 2.30 बजे अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ जिस पर वहाँ कार्यालय से बताया गया कि पंचायत समिति की मीटिंग चल रही है जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता एक घंटे तक वहीं बैठे रहे तथा उसके पश्चात् आये तथा बताया कि अपीलांट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण फैसल कर दिया गया। अपीलांट की और से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा इसके साथ न्यायलय में विचाराधीन वाद की नकल प्रस्तुत की व अपीलांट की और से धारा 10 सी पीसी का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसको रेकार्ड पर लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया। तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की और से दिनांक 23.05.2024 को ही जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई घोर नहीं कर मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया जिससे प्राकृतिक न्याय का हनन हो रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका मनमकसूद रूप से अंकित की है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देलवाड़ा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने व अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देलवाड़ा की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का शिशवी ने अपीलार्थीगण श्री रायसिंह, नाहरसिंह पिता मोडसिंह राजपुत के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम झाडसादड़ी की बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

0.5438 हैक्टेयर किस्म बीड के 0.2529 हैक्टेयर भूमि पर रायसिंह, नाहरसिंह पिता मोडसिंह राजपुत ने पत्थर की कोट बना अनाधिकृत कब्जा किया है। पटवारी हल्का शिशवी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2024 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण रायसिंह, नाहरसिंह पिता मोडसिंह राजपुत को दिनांक 21.05.2024 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को नियत की जाकर पुनः अप्रार्थीगण को दिनांक 2.05.2024 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पालना में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी व जवाब हेतु 15 दिवस का अवसर चाहा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया व अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 23.05.2024 को प्रकरण निर्णित किया गया। निर्णय उपरान्त दिनांक 23.05.2024 को समय 03.30 बजे प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया व प्रकरण में स्थगन चाहा गया एवं अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.05.2024 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है, अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को ही पुनः सुना जाकर निर्णय पारित किया परन्तु प्रा. पत्र धारा 10 सी पी सी पर कोई निर्णय नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 17.05.2024 को दर्ज किया गया व प्रकरण में दौराने सुनवाई अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी एवं धारा 151 जा.दी. पर निर्णय किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 23.05.2024 को निर्णित कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं किये जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, देलवाड़ा को प्रकरण प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करे। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार देलवाड़ा को लौटायी जावे।

18/3/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)